

प्रेषक,
निदेशक,
पंचायतीराज उ०प्र०।

आवंटन
अनुदान सं०-14
लेखाशीर्षक-4515001010800-24

सेवा में,
जिला पंचायतराज अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी,
झॉसी।

पत्र सं०-1/शा०/१०७/2022-1/125/2022 लखनऊ दिनांक 17 मार्च, 2023

विषय-वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं०-14 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण
योजनान्तर्गत जनपद-झॉसी को धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया शासनादेश सं०-33-3099/13/2023-3-1/286798/2023 दिनांक 13.03.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं०-14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-101-पंचायतीराज-08-बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण(जिला योजना)-24-वृहद् निर्माण कार्य में जनपद-गौतमबुद्ध नगर को प्राविधानित धनराशि रू०-18.03 लाख पुर्नग्रहित करके जनपद-झॉसी के विकास खण्ड-बड़ागांव की ग्राम पंचायत-लेवा में पंचायत भवन निर्माण हेतु आवंटन हेतु अवमुक्त की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू०-18.03 लाख निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है-

- 01-आंकड़ों की शुद्धता व धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व योजना प्रभारी का होगा तथा आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
- 02-उपरोक्त धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के अन्य व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- 03-आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देश के अन्तर्गत किया जायेगा।
- 04-आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।
- 05-आवंटित की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि को क्रय हेतु सामग्री सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 06-आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।




- 07-धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 08-आवंटित की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, आवंटित धनराशियों के निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व योजना-प्रभारी का होगा।
- 09-योजना प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि आवंटित नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
- 10-निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
- 11-योजनान्तर्गत तकनीकी कार्य सम्मिलित होने पर प्रायोजन का तकनीकी आवंटन प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जायेगा।
- 12-उक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान सं0-14 के लेखाशीर्षक "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-101-पंचायतीराज-08-बहुददेशीय पंचायत भवनों का निर्माण(जिला योजना)-24-वृहद् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
- 13-शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-4/2018/आर0पी0-1021/दस/2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
- 14-प्रश्नगत पंचायत भवन के मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ.आर. पर विस्तृत आंगणन कराया जायेगा एवं इस विस्तृत आंगणन पर कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- 15-शासनादेश सं0-4021/33-3-2019-182/2013 दिनांक 16.01.2020(छायाप्रति संलग्न) के प्रस्तर क के बिन्दु 3, 4, 5 एवं 6 में पंचायत भवन निर्माण हेतु दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही ग्राम पंचायत का चयन किया जायेगा। साथ ही जिन ग्राम पंचायतों में वित्त आयोग और मनरेगा कन्जर्वेशन की धनराशि से अभी तक पंचायत भवन का निर्माण नहीं हो पाया है, उन ग्राम पंचायतों का चयन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।
- 16(i) वर्ष 2022-23 में यदि कोई समर्पण हो, तो उसकी सूचना दिनांक 15.03.2023 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 16(ii) उक्त आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 व अन्य संगत शासनादेशों में प्रतिनिधित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।



प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सं०-138 पर अंकित है।


संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
निदेशक,
पंचायती राज उ०प्र०।

सं०-1/शा०/1807/1/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ०प्र०, प्रयागराज-211001
- 2-अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3-उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
- 4-उपसचिव, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
- 5-सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 6-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- 7-सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 8-सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक (पं०), उ०प्र०।
- 9-सम्बन्धित उपनिदेशक(पं०)/नोडल अधिकारी, बहुद्देशीय पंचायत भवन योजना, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र०।
- 10-एस०पी०एम०यू० पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


(कृष्ण कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज उ०प्र०।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-17/03/2023

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

1-1807-2022-01-125-2022

002-1-125-2022

14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)

4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायती राज

08 - बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	झाँसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1803000
		वर्तमान प्रगामी	1803000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1803000
		वर्तमान प्रगामी	1803000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया अठारह लाख तीन हजार
रूपया अठारह लाख तीन हजार

(कृष्ण कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी